न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0:– 45 / 2021
पीठासीन अधिकारी:–राजकुमार कस्वा (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 21.06.2022

सुमित्रा देवी पत्नि छीतरमल जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम नैनस्या तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीया

बनाम

तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील प्रार्थीया
पैरोकार सरकार
प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान पत्थरगढी
निर्णय दिनांक:– 21.06.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि खतौनी संख्या 794 के आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 1.9600. हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी में स्थित है जिसकी प्रार्थीया एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ! पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि में जब विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थीया ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से दिनांक 16.07.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब फागी के आदेश क्रमांक एल.आर./21/1930 दिनांक 22/04/2021 की पालना में ग्राम नीमेडा के आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 1.9600 हैक्टेयर के मौके पर पहूँचा, मौके पर पहूँचकर मुस्तकिल मुकाम ख0न0 431 के उत्तरी पश्चिमी कोने से जरीब चलाकर निशान कायम किया, उक्त बिन्दू को पुख्ता करने के लिये ख0न0 440 मे स्थित गै0मु0 चाह मे पुख्ता किया गया इसके बाद उक्त बिन्दू से जरीब चलाकर ख0न0 435 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर निशान कायम किया उक्त निशान को पुख्ता करने के लिये ख0न0 421 के उत्तरी–पश्चिमी कोने से जरीब चलाकर पुख्ता किया इसके बाद उक्त बिन्दू से ख0न0 435 के उतरी – पूर्वी कोने पर निशाम कायम किया उक्त निशान को पुख्ता करने के नये ख0न0 440 में स्थित गैं0मु०चाह से जरीब चलाकर निशान पुख्ता किया, फिर ख0न0 435 के पूर्वी में मेड घुमाव पर ख0न0 431 के उत्तरी–पश्चिमी

उपखण्ड अधिकारी

लगातार.....2

कोने में जरीब चलाकर निशान कायम किया फिर ख0न0 435 के उत्तरी–पूर्वी कोने पर कराए गए निशान से ख0न0 435 के दक्षिणी–पूर्वी कोने पर निशान कायम किया उक्त निशान को पुख्ता करने के लिये ख0न0 440 में स्थित गै०मु०चाह से जरीब चलाकर पुख्ता किया ख0न0 435 के पश्चिमी मेड स्वंय की खातेदारी भूमि होने के कारण सीमाज्ञान नही किया गया इस प्रकार ख0न0 435 का सीमाज्ञान किया गया। पडौसी खातेदार नहीं चाहते कि विवाद सामप्त हो और प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर शान्ति पूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते क्योकि राजस्व नक्शा लट्टा में तरमीम नही होने से पडौसी खातेदार जबरन प्रार्थीया की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है जिसका पडौसी खातेदारों को कोई विधिक अधिकार नही है इसके बावजूद पडौसी खातेदार काश्तकार प्रार्थीया की आराजीयात के करने काश्त में आये दिन मजाहमत करते है क्योकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 16.07.2021 को सीमाज्ञान एवं कायम किये निशानात को पडौसी खातेदारान नहीं मानते तथा प्रार्थीया से आये दिन लाई झगडा मेरे कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्राथीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थीया का यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। सीमाज्ञान दिनांक 16.07.2021 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान न्यायालय को प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश नही करना जाहिर किया। इसलिये दिनांक 31.05.2022 को अप्रार्थी का जबाब बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (दौसा)

लगातार.....3

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की हस्तगत प्रकरण सीमाज्ञान पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादगस्त आराजी का प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली मे संलग्न फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अनुसार उक्त विवादित आराजी का सीमाज्ञान पूर्व मे दिनांक 16.07.2019 को हो चुका है, लेकिन प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 4 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 16.07.2021 को हुई सीमाज्ञान एवं कायम किये गये निशानात को पडौसी खातेदार नही मानते तथा प्रार्थीया से आये दिन लडाई झगडा करते है। पत्थरगढी नही होने से पडौसी खातेदार विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीया अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारो से विवाद होना बताया है। प्रार्थीया व पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐ रखने हेतु पडौसी खातेदारो की मौजुदगी मे सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 794 के आराजी खसरा नम्बर 435 रकबा 1.9600. हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी में स्थित आराजीयात का पडौसी खातेदारो की मौजूदगी मे सीमाज्ञान किया जाकर नियमानुसार सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर